न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 64/2020

वादीगण :-

शांतिदेवी पत्नी देवाराम जाति देवासी निवासी रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बादरराम पुत्र पोकरराम
2. भंवरलाल पुत्र बादरराम
3. पेमाराम पुत्र बादरराम
4. रेंवतराम पुत्र बादरराम
5. मोहनलाल पुत्र बादरराम जातियान देवासी निवासीगण रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :-वादी- श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 से 5 - श्री डी डी रामावत, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 6- सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :- 07/1/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर आयी हुई है। यह भूमि वादी की खरीदशुदा, कब्जाशुदा खातेदारी की है। वादी ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर पर इस वर्ष मूंग की फसल को बोया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 दिनांक 07.07.2020 को ट्रेक्टर लेकर वादी के खेत के अन्दर आ गये और वादी के खेत के पश्चिमी हिस्से की माठ पर रोपे गये पत्थर एवं तारबन्दी को हटाकर ट्रेक्टर से माठ को खड़ाई करवाता शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी वादी को मालूम पड़ी तो बादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को ओलबा दिया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादी के साथ धक्का धूम व मारपीट करना शुरू कर दिया. इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी घटना कारित कर दिये जाने के कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध दिनांक 11.07.2020 को पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवायी, जिस पर पुलिस थानाधिकारी मौके पर आये और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को ऐसी घटना कारित करने से पाबन्द किया। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर ग्राम घान्देलाव

से रामासनी जाने वाली डामरीकृत सड़क आयी हुयी है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 में कृषि कार्य करने हेतु इसी ग्राम चांदलाव से रामासनी जाने वाली डामरीकरण सड़क से अपने खेत में कृषि कार्य करने पहुंचता है। इसी प्रकार वादी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 के उत्तरी दिशा की ओर स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता से होकर आते जाते है। वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में कृषि कार्य करने हेतु का मार्क ए.बी.सी.डी. का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अभी दिनांक 02.08.2020 को प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 494 के उत्तरी दिशा की ओर मार्क ए. बी.सी.डी. भाग पर चल रहे रास्ते पर खडा खोदकर पाला दे दिया और उस पर अंग्रेजी बबूल की झाडिया आदि को डाल दिया ताकि वादी अपने खेत खसरा नम्बर 494/2 में काश्त कार्य से वंचित रह सके और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से राजीनामा कर ले। अतः प्रतिवादीगण को रास्ते पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो वादी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे वादी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की इन नाजायज हरकतों को रोकने के लिए वादी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। दावे के पद संख्या 1 में वर्णित वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर काश्त करने का वादी को पूरा अधिकार है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में तथा मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता की भूमि में किसी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण वादी व उसके परिवार के सदस्यों को काश्त नहीं करने देने व झूठे फौजदारी मुकदमों में फसाने की धमकिया दे रहे है. अतः प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में व मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता के भाग में नाजायज दखल करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। वाद कारण दिनांक 11.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खातेदारी भूमि पर ट्रेक्टर से खड़ाई करने में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने पर तथा दिनांक 02.08. 2020 को वादी के खेत में जाने वाले मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता की भूमि पर खडा खोदकर पाला देकर उस पर अंग्रेजी बबूल की झाडिया डालने की कोशिश कर अवरोध पैदा करने पर तथा वादी को खेतो में फसल की बुवाई नही करने देने की धमकिया देने पर ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

यक कलेक्टर बिलाड़ा

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावे, न ही वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता की भूमि पर न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अन्य किसी से करायी जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री डी डी रामावत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर रामासनी स्थित विवादित जमीन खसरा नम्बर 494/2 का मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 बादरराम है। जिसे धोखे में रखकर वादीया द्वारा दिनांक 28.01.2011 को बैचाननामा कपटपूर्वक अपने हक में करवा लिया। जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नियमित दिवानी वाद संख्या /2020 बादरराम बनाम शांतिदेवी पेश कर दिया है। जो विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादी बादरराम की ओर से वादीनी शांतिदेवी के हक में वादग्रस्त भूमि के बैचाननामे को रद्द करने बाबत् अनुतोष चाहा गया है। तदनुसार मौके पर न तो वादीया का खातेदार की हैसियत से वादग्रस्त जमीन पर कब्जा है, न वह वादग्रस्त जमीन की खातेदार ही है। उसके विरुद्ध प्रतिवादी की ओर सेयह है कि वाद पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम शिवनगर रामासनी स्थित विवादित जमीन खसरा नम्बर 494/2 का मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 बादरराम है। जिसे धोखे में रखकर वादीया द्वारा दिनांक 28.01.2011 को बैचाननामा कपटपूर्वक अपने हक में करवा लिया। जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नियमित दिवानी वाद संख्या /2020 बादरराम बनाम शांतिदेवी पेश कर दिया है। जो विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादी बादरराम की ओर से वादीनी शांतिदेवी के हक में वादग्रस्त भूमि के बैचाननामे को रद्द करने बाबत् अनुतोष चाहा गया है। तदनुसार मौके पर न तो वादीया का खातेदार की हैसियत से वादग्रस्त जमीन पर कब्जा है, न वह वादग्रस्त जमीन की खातेदार ही है। उसके विरुद्ध प्रतिवादी की ओर से आपराधिक मुकदमा भी प्रतिवादी की ओर से सम्बंधित पुलिस थाना बिलाड़ा में दर्ज करवाया जा चुका है। वादग्रस्त जमीन प्रतिवादीगण की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है। जिसके

किसी भी हिस्से पर वादीया का कब्जा नही है। वादीया वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने पक्ष में कपटपूर्वक निष्पादित करवाये गये बैचाननामें की आड में तथा मौजूदा वाद की आड में वादग्रस्त जमीन पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक व सिविल प्रकरण दर्ज करवाये जा चुके है। जिनके विचारण उपरान्त मौजूदा वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही है। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादीया नें काश्त नहीं की है। ऐसी दशा में कब्जे के अभाव में वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कानूनन खारिज योग्य है। वादीया का वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से तक कब्जा नही है। न उसने वादग्रस्त भूमि की प्रतिफल की राशि की अदायगी, इसके मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को की है न वादीया का मौके पर कभी कब्जा ही सुपुर्द किया गया है। वादीया ने कपटपूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संगीन धोखा कर उसे कम ब्याज पर सरकार की ओर से किसान को ऋण दिये जाने का कहकर उसे ऋण दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर वादीया ने अन्य लोगो के सहयोग से बैचान दस्तोवज अपने पक्ष में दिनांक 28.01.2011 को करवा ली। जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आपराधिक व सिविल मुकदमें वादीया के विरूद्ध पेश कर दिये है। जिनके विचारण के चलते मौजूदा वाद वादीया चलने काबिल नहीं है एवं कानूनन पोषणीय नही है। चूंकि विवादित जमीन के मूल खसरे के किसी भी भाग में वादीया का कब्जा नही है ऐसी स्थिति में रास्ते सम्बंधी विवाद बाबत् वादीया के अभिकथन सर्वथा काल्पनिक व मिथ्या है। जिसमें वर्णित किसी भी अनुतोष को हासिल करने की वादीया अधिकारिणी नही है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया मय खर्चे खारिज किया जावे।

वादी के वादपत्र व प्रतिवादीगण का जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई –

(1) आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टयर भूमि के किसी भी हिस्से पर दखल या बाधा नहीं करने एवं न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

(जिम्मे वादी)

उपरोक्त तनकी सं. 1 को जिम्मे करने का भार वादी पर है। जिसके समर्थन में वादीया ने दस्तावेजात पेश किये। राजस्व जमाबंदी संवत् 2052-58 के खाता सं. 192 के खसरा नंबर 494 में खातेदार बादरराम पुत्र पोकरराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। उसके बाद खातेदार बादरराम पुत्र स्व. पोकरराम द्वारा वादीया शांतिदेवी पत्नी देवाराम के पक्ष में खसरा नंबर 494 रकबा 30 बीघा में से 14

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

बीघा 15 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 28.01.2011 को वादिया के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादिया का नाम बतौर खातेदार के रूप में जरिये नामा. सं. 906 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जिसके खसरा नंबर 494/2 अंकित किये गये। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता सं. 139 में खसरा नंबर 494/2 में खातेदार शांतिदेवी पत्नी देवाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादिया वादग्रस्त आराजी की रेकडर्ड खातेदार है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण 1 से 5 के विरूद्ध तय की जाती है।

(2) आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 494/2 का मूल खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बादरराम है वादिया द्वारा धोखे से दिनांक 28.01. 2011 को बैचाननामा कपटपूर्वक अपने हक में किये जाने से वाद काबिले खारिज है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 से 5)

उपरोक्त तनकी सं. 2 को जिम्मे करने का भार प्रतिवादी सं. 1 से 5 पर है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 494/2 का मूल खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बादरराम था जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी संवत् 2052-58 से की गई। उसके बाद प्रतिवादी सं. 1 बादरराम द्वारा वादिया को वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के तहत वादिया के पक्ष में निष्पादित कर दी गई। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा को कपटपूर्वक लेना बताया जबकि प्रतिवादी सं. 1 बादरराम (जिसने वादग्रस्त आराजी का बैचान किया) द्वारा जवाब पेश उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा पर कोई आपति पेश नहीं की। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा को खारिज करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया। बिना दस्तावेजात सिर्फ कहने मात्र से उक्त बैचाननामा को कपटपूर्वक हासिल करना नहीं माना जा सकता। अतः उक्त तनकी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध व वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

(3) अनुतोष ?

तनकी सं. 3 अनुतोष से संबंधित है।

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बहस वकुलाय सुनी जाकर, वादपत्र, जवाब दावा, व दस्तावेजात का अवलोकन कर उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 से 2 वादीया के पक्ष में निर्णित हो जाने तथा तनकी सं. 1 से 2 प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के विरूद्ध निर्णीत होने के कारण वादीया का दावा स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश –:

अतः वादीया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टयर में वादीया के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/1/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीया
शांतिदेवी

बनाम

प्रतिवादीगण
बादरराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट
राजस्व वाद संख्या :- 64/2020

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व दिनांक :- 07/12/25 हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री डी डी रामावत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम शिवनगर (रामासनी) तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 494/2 रकबा 2.3866 हैक्टयर में वादीया के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा